

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7731/2022**

ममता देवी @ममता कुमारी सुथार पत्नी स्वर्गीय श्री जितेन्द्र कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम बनवाल, तहसील परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विकास, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप निदेशक, बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर (राजस्थान)।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, निकट पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान)।
5. ग्राम सेवक सह सचिव, ग्राम पंचायत मायापुर, पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत मायापुर, पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : श्री टी.आर. सिंह सोढ़ा।
श्री दिलीप सिंह.
प्रतिवादी(गण) की ओर से : डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, एएजी के साथ
सुश्री यशवी खंडेलवाल।

माननीय श्रीमान न्यायाधीश अरुण मोंगा**आदेश (मौखिक)**

17/03/2025

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2022 (अनुलग्नक 8) के कार्यालय आदेश को रद्द करने की मांग कर रही है, जिसके माध्यम से, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि दिनांक 11.05.2022 के आदेश के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उसकी नियुक्ति इस तथ्य के कारण रद्द कर दी गई है कि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उसकी 10 वीं और 12 वीं कक्षा की अंकतालिका एक गैर-मान्यता प्राप्त बोर्ड की पाई गई थी।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो मुक्त विद्यालयी शिक्षा परिषद, राजस्थान (राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत) से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक योग्यता प्राप्त एक विधवा है, ने प्रतिवादी संख्या 3, उप निदेशक, बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर द्वारा 01.11.2021 को जारी एक रिक्ति सूचना के आधार पर, ग्राम पंचायत मायापुर, बनवाल-1 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन प्रतिवादी संख्या 4, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), परबतसर, जिला नागौर को 09.11.2021 को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया।

2.1. एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से, याचिकाकर्ता को पता चला कि ग्राम पंचायत मायापुर के वार्ड सदस्य ओमाराम ने उनकी 12 वीं कक्षा की अंकतालिका की प्रामाणिकता के सत्यापन के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जिसका समाधान सीडीपीओ ने 26.04.2022 को एक पत्र में किया था। इस चिंता का समाधान होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को 11.05.2022 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनवाल-1 के पद पर नियुक्त किया, यह पुष्टि करते हुए कि उनकी 10 वीं और 12 वीं की अंकतालिकाओं का सत्यापन हो चुका है।

2.2. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने 11.05.2022 को पदभार ग्रहण कर लिया, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 4 को लिखे उसके पत्र में पुष्टि की गई है। हालाँकि, 18.05.2022 को, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसकी 10 वीं और 12 वीं की अंकतालिकाओं की प्रामाणिकता की जाँच लंबित रहने तक उसका नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया है। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी की दलीलें सुनी हैं और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

4. यहाँ एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त 10 वीं/12 वीं का प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से है या नहीं? इस संबंध में, प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में निम्नलिखित स्पष्ट रुख अपनाया है:-

“8. रिट याचिका के पैरा 7 की विषयवस्तु को उस रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जिस रूप में उसे कहा गया है, इसलिए अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में, विनम्र प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अनुलग्नक-6 के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शर्त संख्या 7 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि:

“यदि प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यताएं और अन्य दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो विभाग आपकी नियुक्ति समाप्त कर सकता है और आपको हटा सकता है, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।”

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्यालय सीडीपीओ, परबतसर ने याचिकाकर्ता की मार्कशीट की सत्यता को कभी स्वीकार नहीं किया तथा यह स्पष्ट कर दिया कि यदि मार्कशीट फर्जी पाई जाती है तो विभाग याचिकाकर्ता की नियुक्ति समाप्त कर सकता है।

xxx

xxx

xxx

10. रिट याचिका के पैरा 9 की विषय-वस्तु को उस रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जिस रूप में उसका दावा किया गया है, इसलिए उसे अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में, विनम्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सीडीपीओ, परबतसर ने दिनांक 04.05.2022 के पत्र

के माध्यम से सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से श्रीमती ममता देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार की 10 वीं और 12 वीं की अंकतालिकाओं की प्रामाणिकता सत्यापित करने का अनुरोध किया। उक्त पत्र के उत्तर में, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि श्रीमती ममता देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार की संबंधित अंकतालिकाएं दिनांक 04.05.2022 के पत्र के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से संबंधित नहीं हैं। दिनांक 04.05.2022 के पत्र और दिनांक 04.05.2022 के पत्र की एक प्रति क्रमशः अनुलग्नक-आर/2 और अनुलग्नक-आर/3 के रूप में संलग्न है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फर्जी शिक्षा बोर्ड की एक सूची तैयार की है, जिसमें क्रमांक 46 पर राजस्थान मुक्त विद्यालयी शिक्षा परिषद, सूरतगढ़ का नाम अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी हैं और इस प्रकार अप्रासंगिक हैं। यह सूची अनुलग्नक-R/4 के रूप में संलग्न है।

अतः ऐसी स्थिति में, सीडीपीओ कार्यालय, परबतसर द्वारा दिनांक 18.05.2022 को आदेश पारित किया गया कि अंकतालिका की प्रामाणिकता सत्यापित होने तक उसे पारिश्रमिक सेवा में नहीं रखा जाएगा। उक्त सत्यापन के बाद ही पारिश्रमिक सेवा में चयन पर विचार किया जाएगा। चूंकि उक्त अंकतालिका की प्रामाणिकता का अब सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसलिए याचिकाकर्ता पारिश्रमिक सेवा की पात्र नहीं है।

5. प्रश्न किए जाने पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मौखिक रूप से उत्तर में उपरोक्त रुख का खंडन करते हुए कहा कि यह प्रतिवादियों का पक्ष विचार है।

6. रिट याचिका में, यह साबित करने के लिए कोई सामग्री संलग्न नहीं की गई है कि याचिकाकर्ता के प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हैं, सिवाय उस प्रमाणपत्र के, जिसमें स्व-घोषणा की गई है कि बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा मान्यता प्राप्त है। न तो MHRD, न ही राजस्थान राज्य सरकार और न ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कोई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया हो कि उक्त संस्थान मान्यता प्राप्त है। केवल इसलिए कि प्रमाणपत्र का प्रारंभिक सत्यापन प्रतिवादियों द्वारा किया गया था, याचिकाकर्ता के इस दावे को कोई विश्वसनीयता नहीं मिलती कि उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। मान्यता सक्षम मान्यता अभिकरण

द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, न कि उस सत्यापन अधिकारी द्वारा जिसने ऐसा सत्यापन किया था।

7. जो भी हो, मैं प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में अपनाए गए उपरोक्त रुख को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ क्योंकि इसका खंडन करने के लिए कोई और हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में, यहाँ प्रस्तुत तथ्यों के विवादित प्रश्नों का निर्णय इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, स्व-सत्यापित हलफनामों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इन पर मुद्दों को निर्धारित करके और उनके समर्थन में विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करके विचार किया जाना आवश्यक है।

8. याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए उचित मंच के समक्ष कानूनी सहायता लेने की स्वतंत्रता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यताएं विधिवत् मान्यता प्राप्त हैं तथा वह किसी ऐसे संस्थान से नहीं है जिसे काली सूची में डाल दिया गया है।

9. जहां तक वर्तमान रिट याचिका का संबंध है, इसे पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

82-सुमित/राममाथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है:- हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी
